मै0 गेल (इण्डिया) लि0, दिबियापुर, कम्प्रेशर स्टेशन, औरैया द्वारा, जनपद– औरैया में प्रस्तावित ग्रीन फील्ड 380 मेगावॉट गैस आधारित संयुक्त साइकिल पॉवर प्लांट स्थापित किये जाने हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, 844, फतेहपुर रोशनाई, रनियॉ, रमाबाई नगर में प्राप्त प्रस्ताव पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं0 एस0ओ0 1533(अ) दिनॉक 14–09–2006 यथासंशोधित एस0ओ0 3067 (ई) दिनॉक 01–12–2009 के प्राविधानों के अनुपालनार्थ पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनॉक 24–04–2012 को प्रातः 11:00 बजे उक्त उद्योग के परिसर में जिलाधिकारी/अध्यक्ष लोकसनुवाई की अध्यक्षता में सम्पन्न लोकसुनवाई के कार्यवृत्त का विवरण।

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या– **एफ 00447/सी–2/एन0ओ0सी0/3732/2012** दिनॉक **02–03–2012** एवं जिलाधिकारी महोदय, जनपद– औरैया द्वारा उक्त परियोजना की लोकसुनवाई हेतु स्थल, तिथि एवं समय की सहमति/अनुमति प्रदान करने के उपरान्त उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, द्वारा प्रतिष्ठित समाचार पत्र (दैनिक जागरण– हिन्दी एवं हिन्दुस्तान टाइम्स– अंग्रेजी) में प्रकाशित प्रेस विज्ञप्ति के उपरान्त दिनॉक **24–04–2012** को **पूर्वाह्न 11:00** बजे मै0 गेल (इण्डिया) लि0, दिबियापुर, कम्प्रेशर स्टेशन, औरैया (जिस स्थल पर उपर्युक्त पॉवर प्लान्ट की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है), के परिसर में नन्हकू, (प्रभारी) जिलाधिकारी– अध्यक्ष लोकसुनवाई की अध्यक्षता में लोकसुनवाई आयोजित की गयी जिसकी कार्यवृत्त का विवरण निम्नवत् है।

उक्त लोकसुनवाई की आम सूचना स्थानीय (दैनिक जागरण– हिन्दी एवं हिन्दुस्तान टाइम्स– अंग्रेजी) समाचार पत्र में प्रकाशित की गयी थी जिसकी छायाप्रति संलग्न है। **(संलग्नक – 1)**।

लोकसुनवाई की अध्यक्षता नन्हकू, (प्रभारी) जिलाधिकारी, जनपद– औरैया द्वारा की गयी। लोकसुनवाई के समय उपस्थित अधिकारियों में डा0 (श्रीमती)शोभा चतुर्वेदी, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रमाबाई नगर, श्री तपस दास, मुख्य प्रबन्धक(ऑपरेशन एण्ड मेंटिनेन्स) एवं प्रभारी अधिकारी, दिबियापुर, कम्प्रेशर स्टेशन, गेल इण्डिया लि0, श्री वी0के मिश्रा, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रमाबाई नगर, श्री एच0सी0 जोशी, सहा0वैज्ञा0अधि0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रमाबाई नगर, श्री अमित किसपोटा, वरिष्ठ प्रबन्धक, मानव संसाधन, श्री राजेश कुमार, वरिष्ठ प्रबन्धक, गेल कार्पोरेट ऑफिस, श्री एस0वी0 पाण्डेय, वरिष्ठ प्रबन्धक, यांत्रिकी, श्री घनश्याम पाण्डेय, वरिष्ठ प्रबन्धक, प्रचालन, कम्प्रेशर यूनिट, गेल इण्डिया लि0, दिबियापुर, श्री सत्यदेव राजपूत, सहारा न्यूज, दिबियापुर, औरैया, श्री गोपाल शंकर पोरवाल, अमर उजाला एवं अन्य स्थानीय गणमान्य व्यक्ति एवं समीपवर्ती ग्रामवासी उपस्थित थे। सुलभ संदर्भ हेतु उक्त अवसर पर उपस्थित सदस्यों की सूची की छायाप्रति संलग्न है**(संलग्नक– 2)**।

लोकसुनवाई प्रारम्भ करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, 844, फतेहपुर रोशनाई, रनियॉं, जनपद– रमाबाई नगर के प्रतिनिधि श्री हरीश चन्द्र जोशी, सहा0वैज्ञा0अधि0 द्वारा लोकसुनवाई में उपस्थित सभी अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हुए अवगत कराया गया कि मै0 गेल (इण्डिया) लि0, दिबियापुर, कम्प्रेशर स्टेशन परिसर, जनपद– औरैया में ग्रीन फील्ड 380 मेगावाट गैस आधारित संयुक्त साइकिल पावर प्लांट की स्थापना हेतु प्रस्ताव उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में प्राप्त कराया गया था जिसमे 380 मेगावाट विद्युत क्षमता के विद्युत परियोजना को मै0 गेल इण्डिया लि0, दिबियापुर, कम्प्रेशर स्टेशन के परिसर में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या– एस0ओ0–1533 दिनॉक 14–09–2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत उ0प्र0 जनपद– औरैया में उक्त प्लांट के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है। इसी के अनुपालनार्थ दिनॉक 24–04–2012 को इस लोकसुनवाई का आयोजन किया जा रहा है।

श्री एच0सी0 जोशी, सहा0वैज्ञा0अधि0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, द्वारा आयोजकों से प्रस्ताव के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया।

श्री रत्नेश कोटियाल, पर्यावरण सलाहकार ई0एम0आर0टी0सी0, नई दिल्ली द्वारा उक्त परियोजना की स्थापना हेतु सम्बन्धित विवरण का प्रस्तुतिकरण किया गया जिसमें प्रमुख रूप से मै0 गेल (इण्डिया) लि0, दिबियापुर, कम्प्रेशर स्टेशन के परिसर में ग्रीन फील्ड 380 मेगावाट गैस आधारित संयुक्त साइकिल पावर प्लांट की स्थापना हेतु विवरण से अवगत कराया गया। उक्त 380 मेगावॉट की परियोजना में 80 प्रतिशत (240 मेगावॉट) विद्युत का उत्पादन गैस टर्बाइन जनरेटर से एवं 20 प्रतिशत (140 मेगावॉट) विद्युत का उत्पादन वेस्ट हीट से उत्पन्न स्टीम द्वारा टर्बाइन से किया जाएगा जिसके लिए ईको फ्रेंडली फ्यूल नेचुरल गैस (530 एम0एस0सी0एम0ए0) का उपयोग किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उक्त विद्युत उत्पादन में लगभग 10,920 किली0(455 घनमी0/घंटा) जल का उपभोग औद्योगिक कूलिंग घरेलू प्रयोजनार्थ एवं अन्य कार्यों हेतु किया जाएगा जिसकी आपूर्ति लोअर गंगा वॉटर कैनाल से की जाएगी। उक्त के उपरान्त लगभग 2,184 किली0 औद्योगिक उत्प्रवाह जनित होगा जिसमें से 165 किली0/दिन औद्योगिक उत्प्रवाह को शुद्धीकरण के उपरान्त पुनः चक्रित कर गार्डनिंग में प्रयोग किया जाएगा तथा शेष औद्योगिक उत्प्रवाह 2,019 किली0/दिन को शुद्धीकरण के उपरान्त निर्धारित मानकों के अनुरूप करके लोअर गंगा कैनाल पर इनटेक प्वाइंट के अपस्ट्रीम में निस्तारित किया जाएगा।

उद्योग में ईको फ्रेंड्ली नेचुरल गैस का प्रयोग किये जाने के कारण प्रस्तावित उद्योग से वायु प्रदूषण एवं ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होने की समस्या नगण्य है। उक्त उद्योग की प्रस्तावित स्थल के लगभग 10.0 किमी0 की परिधि में समस्त पर्यावरण घटकों की जॉच एवं सर्वेक्षण कार्य किया गया जिसके अनुसार प्रस्तावित स्थल उद्योग की स्थापना हेतु उपयुक्त प्रतीत होता है।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सभा में उपस्थित लोगों द्वारा पूछे गये निम्नांकित प्रश्नों के सापेक्ष श्री तपस दास, मुख्य प्रबन्धक(ऑपरेशन एण्ड मेंटिनेन्स) एवं प्रभारी अधिकारी, कम्प्रेशन यूनिट, गेल इण्डिया लि0, दिबियापुर, औरैया द्वारा निम्नांकित उत्तर दिये गये।

प्रश्नः प्रस्तावित उद्योग की स्थापना से समीपवर्ती ग्रामों को प्रत्यक्ष रूप से क्या लाभ मिलेगा तथा प्रस्तावित संयंत्र में तकनीकी पदों पर क्षेत्रीय ग्रामीणों की नियुक्ति हेतु क्या प्राथमिकता दी जाएगी?(बृजेश कुमार, ग्राम– देवरायकापुरवा)

उत्तरः उक्त के सम्बन्ध में श्री तपस दास, मुख्य प्रबन्धक(ऑपरेशन एण्ड मेंटिनेन्स) एवं प्रभारी अधिकारी, कम्प्रेशन यूनिट, गेल इण्डिया लि0, दिबियापुर द्वारा अवगत कराया गया कि सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीणों को नियुक्तियों में वरीयता एवं अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

प्रश्नः श्री अरविन्द कुमार, ग्राम– सेहुत द्वारा यह जानकारी चाही गयी कि प्रस्तावित प्लांट की स्थापना के उपरान्त 5.0 किमी0 की परिधि के अन्तर्गत स्थित ग्रामों का विद्युतीकरण कर क्या विद्युत आपूर्ति की जाएगी?

उत्तरः इस सम्बन्ध में श्री तपस दास, द्वारा अवगत करया गया कि उक्त प्रस्तावित परियोजना से उत्पन्न विद्युत को राज्य विद्युत परिषद को आपूर्ति किया जाएगा जिसका वितरण उ0प्र0 दक्षिणांचल विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।

Mishra Chaturvedi

प्रश्नः श्री कन्हैयालाल, ग्राम– देवरायकापुरवा द्वारा सूचित किया गया कि उनका पुत्र आई0टी0आई0 कर चुका है जिसके द्वारा पूर्व में अप्रेन्टिस भी कर ली गयी है। देश के अन्य क्षेत्रों में ऐसे तकनीकी व्यक्ति को नौकरियों में वरीयता दी जाती है परन्तु यहाँ पर प्रार्थी के पुत्र की नियुक्ति हेतु कोई कदम नहीं उठाया गया है क्या ऐसे तकनीकी प्रशिक्षु अभ्यर्थियों की नियुक्ति में गेल कम्पनी द्वारा वरीयता दी जाएगी? इनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि समीपवर्ती ग्रामीणों की आमदनी में बढ़ोत्तरी हेतु क्या कोई उपाय किये जाएंगे? ग्रीन कार्ड धारक अथवा पूर्व में विस्थापित परिवार से एक आदमी की नियुक्ति किये जाने हेतु उद्योग द्वारा क्या योजना बनाई गयी है?

उत्तरः इस सम्बन्ध में श्री अमित किसपोटा, वरिष्ठ प्रबन्धक, मानव संसाधन, कम्प्रेशर यूनिट, गेल इण्डिया लि0, दिबियापुर द्वारा अवगत कराया गया कि कम्पनी द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है जिसमें स्थानीय ग्रामीण व्यक्तियों को योग्यतानुसार उपयुक्त पाये जाने के उपरान्त चयन में वरीयता दी जाती है। इसके अतिरिक्त विस्थापित परिवारों में से किसी एक व्यक्ति की नियुक्ति के सन्दर्भ में भी कम्पनी के नियमानुसार ही कार्यवाही वरीयता के अनुसार की जाती है।

प्रश्नः श्री रामऔतार, देवरायकापुरवा द्वारा जानकारी चाही गयी कि गेल कम्प्रेशर स्टेशन में हॉर्टीकल्चर कार्य हेतु लगाए गए स्थानीय अनस्किल्ड कर्मचारियो को स्किल्ड कर्मचारियों में कब परिवर्तित किया जाएगा? जिससे उनके वेतन में बढ़ोत्तरी हो सके।

उत्तरः इस सम्बन्ध में श्री अमित किसपोटा द्वारा यह जानकारी दी गयी कि उक्त के सम्बन्ध में अपना प्रत्यावेदन पत्र कम्पनी संगठन को प्रस्तुत करें। कम्पनी द्वारा उक्त पर नियमानुसार विचार किया जाएगा।

प्रश्नः श्री राजेश कुमार दोहरे पुत्र श्री कन्हैया लाल दोहरे, देवरायकापुरवा द्वारा जानकारी चाही गयी कि गरीबी रेखा के नीचे के स्तर का जीवनयापन करने वाले विस्थापित परिवारों को क्या सुविधाएं प्रदान की जाएंगी?

उत्तरः इस सम्बन्ध में श्री तपस दास द्वारा आश्वासन दिया गया कि ऐसे विस्थापित परिवारों की सूची, जिनकी सम्पूर्ण भूमि कम्पनी अधिग्रहीत कर ली गयी है और उनके आश्रितों में से एक को कम्पनी द्वारा नौकरी नहीं दी गयी है, कम्पनी संगठन को उपलब्ध कराये। कम्पनी संगठन द्वारा उस पर नियमानुसार विचार किया जाएगा।

प्रश्नः श्री छेदीलाल, देवरायकापुर्वा द्वारा अवगत कराया गया कि कम्प्रेशर यूनिट के अन्तर्गत बागबानी का कार्य करने वाले कर्मचारियों के वेतन में विगत कई वर्षों से कोई वृद्धि नहीं की गयी है तथा उनके वेतन में कई विसंगतियाँ है जिनका निराकरण किया जाना आवश्यक है।

उत्तरः इस सम्बन्ध में श्री तपस दास द्वारा अवगत कराया गया कि कम्पनी द्वारा हॉर्टीकल्चर कार्य में लगाये गये कर्मचारियों के विशय में विचार–विमर्श कर कम्पनी संगठन द्वारा नियमानुसार समयबद्ध तरीके से वेतन वृद्धि की जाती है।

प्रश्नः कोमल प्रसाद पुत्र श्री जगन्नाथ , देवरायकापुरवा द्वारा अवगत कराया गया कि उद्योग द्वारा विगत कई वर्षों से अनुबन्ध द्वारा कार्य कराया जाता है उनका वेतन सीधे उनको न देकर अनुबन्ध के माध्यम से दिया जाता है। कान्ट्रैक्टर द्वारा पी0एफ0 के पैसे की कटौती तो कर ली जाती है परन्तु खाते में धनराशि नहीं डाली जाती हे। उक्त विसंगति का निराकरण करें।

उत्तरः इस सम्बन्ध में श्री अमित किसपोटा, वरिष्ठ प्रबन्धक, मानव संसाधन द्वारा अवगत कराया गया कि ऐसे कर्मचारी जिनकी इस प्रकार की समस्याएं हैं वे लिखित रूप में अपना प्रत्यावेदन कम्पनी संगठन को प्रस्तुत करें। उसकी जॉच कर कम्पनी द्वारा सम्बन्धित से धन की वसूली कर प्रभावित कर्मचारी को उपलब्ध कराया जाएगा।

प्रश्नः श्री राजेश, देवरायकापुरवा द्वारा प्रस्तावित स्थल के समीप स्थित ग्रामीणवासी के परिवार वालों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं विकास हेतु पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है। अन्य पब्लिक स्कूलों की भॉति समीपवर्ती ग्रामों के बच्चों को वरीयता नहीं दी जाती है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण अंचल के बच्चों को भी पब्लिक स्कूलों में प्रवेश में वरीयता दी जाए।

उत्तरः इस सम्बन्ध में श्री अमित किसपोटा, वरिष्ठ प्रबन्धक, मानव संसाधन द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार के विभिन्न नियमों के तहत स्थानीय विकास के अन्तर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा एवं अन्य पर्यावरणीय पहलुओं के विकास हेतु कम्पनी द्वारा सामुदायिक विकास कार्य किये जाते है तथा भविष्य में भी उक्त के अनुसार कार्यवाही की जाएगी तथा भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त डा0 एस0के0 सिंह, वरिष्ठ प्रबन्धक,(चिकित्सा सेवा) डिस्पेंसरी, गेल विहार, कम्प्रेशर यूनिट, गेल, दिबियापुर औरैया द्वारा अवगत कराया गया कि समीपवर्ती क्षेत्र दिबियापुर, पाता एवं अन्य क्षेत्रों से सम्बन्धित ग्रामीणों को प्रतिदिन पूर्वाह्न 12:00 से 1:00 बजे तक पुनः सांय 4:00 बजे से 5:00 बजे तक स्वास्थ्य सम्बन्धी परीक्षण किया जाता है तथा उपयुक्त चिकित्सा सुविधाएं, जिसमें प्रमुख रूप से स्वास्थ्य परीक्षण, ड्रेसिंग, इन्जेक्शन एवं उपलब्ध औषधियों का वितरण किया जाता है। इस हेतु किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। यहॉ तक कि जानवरों द्वारा काटे जाने के उपरान्त प्रथम डोज़ मुफ्त प्रदान की जाती है तथा आकस्मिक चिकित्सा सुविधाएं तत्काल प्रदान की जाती है।

अन्त में अध्यक्ष महोदय ने गेल प्रतिनिधि श्री तपस दास, मुख्य प्रबन्धक(ऑपरेशन एण्ड मेंटिनेन्स) एवं प्रभारी अधिकारी, कम्प्रेशन यूनिट, गेल इण्डिया लि0, दिबियापुर को निर्देशित किया कि उपरोक्त समस्त समस्याओं का निदान नियमानुसार यथासंभव सुनिश्चित किया जाए तथा परियोजना की स्थापना तथा संचालन हेतु क्षेत्रीय ग्रामीणवासियों को योग्यता के अनुसार चयन हेतु वरीयता दी जाए तथा क्षेत्र के विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य पर्यावरणीय समस्याओं का निदान समयानुसार सुनिश्चित किया जाए।

उक्त लोकसुनवाई के दौरान उपस्थित सभी पक्षों द्वारा उपरोक्त विचारों, सुझावों, टिप्पणियों एवं आपत्तियों के अतिरिक्त कोई मुद्दा नहीं उठाया गया एवं इस परियोजना के निर्माण हेतु उपस्थित समस्त जनसमुदाय ने करतल ध्वनि से अपनी सहमति जताई। उक्त के उपरान्त अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए सभा समापन की घोषणा की।

उपरोक्त मन्तव्य के साथ पर्यावरणीय दृष्टिकोण से स्थानीय लोकसुनवाई का कार्यवृत्त आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्गत किया जाता है।

Shobhaved..
(डा0(श्रीमती शोभा चतुर्वेदी)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
जनपद– रमाबाई नगर।

24/4/12
जिलाधिकारी (प्रभारी)/अध्यक्ष, लोकसुनवाई
जनपद– औरैया।

Mishra